ायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बापिणी जिला फलौदी

सुफा देवी बनाम तहसीलदार बापिणी

अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रकरण संख्या 47 / 2025** Gcms No. 2025/92	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण में पैरोंकार अभिभाषक उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री राजूराम चौधरी अप्रार्थीगण संख्यां (01)की ओर से :– राज–पैरोकार। **–: निर्णय :–** दिनांक :– 26/11/2025 प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम रायमलवाड़ा के खसरा नम्बर 591 / 2 रकबा 6.2564 हैक्टेयर एवं ग्राम पड़ासला के खसरा नम्बर 1120 रकबा 6.4750 हैक्टेयर की भुमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का नाम शिवप्यारी के नाम भूमि आई हुई हैं। प्रार्थी की भुमि के अलावा अन्य सभी कागजातों में नाम सुफा देवी दर्ज हैं। तथा जमीन में नाम शिवप्यारी गलत दर्ज होने पर पक्षकार को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं। और नाम को लेकर भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो जिसके लिए राजस्व जमाबन्दी में नाम सही एंव दुरूस्त करवानें हेतु हल्का पटवारी व भु.अभिलेख निरीक्षक से निवेदन किया गया कि वास्तविक नाम के मुताबिक जमाबन्दी में सुफा देवी दर्ज करना भु–अभिलेख अधिकारी का दायित्व हैं परन्तु इन्कार कर दिया। जिसके कारण प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरीये समन तलब किया गया। अप्रार्थी को भेजे गये समन की डाक रसीदें न्यायालय में पेश की जो शामिल मिसल की गयी। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार बापिणी से रिकार्ड व मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार की तरफ से जबाब के साथ रिकार्ड जांच रिपोर्ट एंव मियुटेशन की प्रति प्रस्तुत हुई जो शामिल मिसल की गयी। तहसीलदार ने जांच रिपोर्ट में बताया की नामान्तकरण संख्यां 1667 में प्रार्थी खातेदार भुमि में दर्ज हुंआ। स्वभाविक मानवीय सदभाविक भुल से में जमाबन्दी में शिवप्यारी दर्ज हो कर गलत प्रविष्टि हुई हैं। वर्तमान चालु जमाबन्दी में शिवप्यारी दर्ज हैं तथा तहसीलदार जांच रिपोर्ट अनुसार शिवप्यारी के स्थान पर सुफा देवी सही नाम दर्ज किया जाना उचित है। तथा हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का नाम शिवप्यारी से सुफा देवी किया जाना है तथा जांच रिपोर्ट के तहत शिवप्यारी के स्थान पर सुफा देवी किये जाने योग्य बताया है। पत्रावली पर अधिवक्ता प्रार्थी की अन्तिम बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के पैरान को दोहराते हुऐ जांच रिपोर्ट का समर्थन किया और बताया कि शिवप्यारी से सुफा देवी कर सही किया जावें और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया	

सहायक कलेक्टर बापिणी

जावें।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अध्ययन एवं रिर्पोट का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन एवं मनन करने पर स्पष्ट है कि तहसीलदार बापिणी द्वारा नामान्तकरण व जांच रिपोर्ट सामिल मिशल किया गया और जांच रिपोर्ट के अनुसार नाम परिवर्तन किया जाना है। ओर प्रार्थी का नाम सही दर्ज करवाने की आवश्यकता है। इसलिए धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम रायमलवाड़ा के खसरा नम्बर 591/2 एवं ग्राम पड़ासला के खसरा नम्बर 1120 की जमीन में प्रार्थी का नाम शिवप्यारी सद्भाविक भुल के कारण गलत प्रविष्ठि हो गयी। तथा उक्त खसरे की जमीन में शिवप्यारी के स्थान पर सुफा देवी दर्ज सही कर करने की मौका रिपोर्ट एंव प्रार्थी के आधार कार्ड अनुसार भुमि में नाम परिवर्तित कर सही किया जाना है तथा उक्त सभी दस्तावेजी रिर्पोटों के अनुसार प्रार्थी का नाम शिवप्यारी के स्थान पर सुफा देवी दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। कि तहसीलदार बापिणी तदानुसार राजस्व रेकॉर्ड में सुफा देवी दर्ज कर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जाकर न्यायालय विनिश्चय की पालना सुनिश्चित करें। पालनार्थ सम्बधित को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26/11/2025 खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलेक्टर बापिणी